

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-502/08
संस्थापित दिनांक-16.07.2008
Filling no-235103000712008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- करतार सिंह पुत्र ज्ञानसिंह उम्र 34 साल 2- बुद्धा पुत्र ज्ञानसिंह उम्र 30 साल निवासीगण:- गरेठी चक पिपरई 3- रनवीर सिंह पुत्र राजधर सिंह उम्र 48 साल 4- कल्ला पुत्र रनवीर सिंह यादव उम्र 31 साल 5- भूरा पुत्र रनवीर सिंह यादव उम्र 28 साल निवासीगण - ग्राम वेसरा चंदेरीआरोपीगण

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित)

01- अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 440, 324/149, 323/149, 190 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 04.08.08 को समय 13:00 बजे स्थान ग्राम बेसरा का हार लोक स्थल में आपने फरियादी राजेन्द्र सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के खेत में खड़ी फसल को उसकी मारपीट करने की तैयारी करके चरवाकर रिष्टि कारित की एवं फरियादी को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की एवं सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी को सख्त एवं मोथरी हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की तथा फरियादी को लोक सेवक से संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी ने अपने भाई मलखान के साथ थाना चंदेरी में आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 04.08.08 को वह अपने खेत में दवा छिड़क रहा था कि करतार सिख एवं बुद्धा अपनी भैंस लेकर आए और उसके खेत में खड़े होकर चराने लगे, जब उसने मना किया तो मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो बुद्धा ने उसे फर्सा से मारा दांहिने पैर के पंजे में लगकर खून निकल आया, करता ने कुल्हाड़ी की मारी

बांये पैर की पिडली में लगी मुंदी चोट आई कि इतने में कल्ला यादव, रनवीर यादव व भूरा यादव भी आ गये और उन्होंने फरियादी की लाठियो से मारपीट की। उसके दोनो हाथो के दडा में बांये हाथ के पंजा में मुंदी चोट आई। बुद्धा ने उसे बायें बखा में काट खाया था, मौके पर उसके पिताजी व उसकी बहन आ गये और उन्होंने उसे बचाया फिर सभी कहने लगे कि रिपोर्ट करने गया तो जान से खतम कर देगे और रोके रहें। फरियादी का भाई मलखान खबर मिलते ही उसे लेने खेत में आ गया। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओ के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.08.08 को समय 13:00 बजे स्थान ग्राम बेसरा का हार लोक स्थल में आपने फरियादी राजेन्द्र सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
2.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी के खेत में खड़ी फसल को उसकी मारपीट करने की तैयारी करके चरवाकर रिष्टि कारित की ?
3.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की ?
4.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी को सख्त एवं मोथरी हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की ?
5.	क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को लोक सेवक से संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क0 1 व 5:-

05— विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 5 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। राजेन्द्र सिंह अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 3-4 साल पूर्व की होकर 12-1 बजे की है। घटना के समय वह उसके खेत में दवा डलवा रहा था, तभी आरोपीगण ने आकर उसके साथ मारपीट की और आरोपीगण कह रहे थे कि यदि जमीन पर गये तो जान से मिटा देगे। सुगंधा अ0सा05 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि आरोपीगण ने राजेन्द्र को बुरी-बुरी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। किन्तु साक्षी ने उसके न्यायालयीन कथनों में यह नहीं बताया कि आरोपीगण द्वारा कौन सी गालियां दी गई थी और क्या उक्त गालियां सुनकर फरियादी राजेन्द्र सिंह को क्षोभ कारित हुआ था।

06— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि आरोपीगण द्वारा दी गई गालियां अश्लीलता की परिधि में आती है, इसके अलावा उक्त गाली लोक स्थान पर बोली गई है और उक्त गालियां सुनकर क्षोभ कारित हुआ हो। इस स्थिति में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो की फरियादी राजेन्द्र सिंह को अभियुक्तगण द्वारा लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित हुआ हो।

07— राजेन्द्र सिंह अ0सा01 ने उसके कथनों में बताया कि आरोपीगण ने उससे कहा था कि यदि जमीन पर गये तो जान से मिटा देगे, इसके अलावा साक्षी सुगंधा ने मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में बताया है। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त वर्तमान विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 के संबंध में अभिलेख पर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। फरियादी राजेन्द्र सिंह अ0सा01 ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से वह लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो, इसके विपरीत फरियादी द्वारा घटना दिनांक को ही अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराना दर्शित है जिससे यह दर्शित नहीं है कि फरियादी घटना दिनांक को लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो।

08— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राजेन्द्र सिंह अ0सा01 को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने हेतु जान से मारने की धमकी दी।

विचारणीय प्रश्न क्र0 2:-

09— राजेन्द्र सिंह अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में बताया कि आरोपी बुद्धा और करतार भैंसे लेकर आए थे जिसमें करीब भैंस और गायों के 10—15 नग थे और जानवरो ने उसके खेत में लगभग 2—3 क्विंटल सोयाबीन का नुकसान कर दिया था, इसके अलावा सुगंधा अ0सा05 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि उसने फसल का नुकसान होते हुए देखा था, 7 भैंसे खेत में घुसी थी। जगदीश सिंह धाकड़ अ0सा09 ने उसके कथनों में बताया कि उसके द्वारा फसल की नुकसानी के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्र.पी.4 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— संग्राम सिंह अ0सा010 ने नुकसानी पंचनामा प्र.पी.4 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। उक्त साक्षी ने बताया कि करीब 8—10 साल पूर्व जगदीश धाकड़ दरोगा जी ने उसके घर के दरवाजे पर बैठकर प्र.पी.4 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर कराए थे। अर्थात् स्वतंत्र साक्षी संग्राम सिंह द्वारा नुकसानी पंचनामे पर नुकसानी के स्थान पर जाकर हस्ताक्षर करने के विपरीत घर पर हस्ताक्षर करना व्यक्त किया है और नुकसानी पंचनामा बनाने वाले विवेचक जगदीश सिंह धाकड़ अ0सा09 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि किस सर्वे नम्बर की भूमि पर स्थित फसल का नुकसान हुआ था और फसल किस चीज की थी। इस प्रकार किसी भी साक्षीगण ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि फरियादी के खेत में खड़ी फसल को जानवरो से चरबाकर रिष्टि कारित की हो।

विचारणीय प्रश्न क्र 3 व 4:—

11— विचारणीय प्रश्न क्र. 3 व 4 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। आहत राजेन्द्र सिंह उसके कथनों में बताया कि घटना दिन के 12—1 बजे की है। उस समय वह खेत में दबा डलबा रहा था, तभी बुद्धा, करतार, कल्ला, भूरा और रणवीर आए तो उनसे पूछा कि क्या विचार है, वह आरोपीगण खेत में आ गये और धोखे से उससे चिपट गये। राजेन्द्र अ0सा01 ने बताया कि बुद्धा फर्सा लिये हुए था, कल्ला कुल्हाड़ी और शेष लोग लाठियां लिये हुए थे। फिर आरोपीगण ने फर्सा, कुल्हाड़ी से उसे मारा जिससे उसके दाहिनी पैर, घुटने पर, बांये पैर की पिडली में और पैर में खून निकल आया था और आरोपीगण ने पीठ में लट्ठ मारे थे जिससे उसके हाथों और पंजों में चोट आई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि बुद्धा कट्टा खुरसे हुए था, इसके बाद आरोपीगण साक्षी की मारपीट कर छोड़कर चले गये थे। उक्त घटना की खबर जब घर पहुँची तो उसके पिताजी, भैया मलखान सिंह और गाँव के 4—5 लोग पहुँच गये थे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चंदेरी में कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का कहना है कि पुलिस ने उसकी डॉक्टरी कराई थी और पूछताछ कर बयान लिये।

12— प्रतिपरीक्षण में राजेन्द्र सिंह अ0सा01 ने पैरा 5 में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, झगड़े के समय गुबरा व रामसेवक थे और बहन सुगंधाबाई आ गई थी जो उसे रोटी देने आई थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि झगड़े के समय सुगंधाबाई, नारायण, गुबरा व रामसेवक ने बीच बचाव किया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में बताया कि उसे 6-7 लाठी और एक फर्सा धारदार तरफ से लगा था, जिससे उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे चोट आई थी और एक लोहांगी की चोट बाएं पैर में आई थी। गुबरा उर्फ गोबर्धन अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह फरियादी व आरोपीगण को जानता है। राजेन्द्र सिंह के खेत पर बुद्धा, कल्ला, भूरा तीनों के बीच में लड़ाई हुई थी और लड़ाई में लट्ठबाजी हो गई थी। बुद्धा ने राजेन्द्र को एक लट्ठ मारा था, फिर बाकी 2 लोग लिपड़ा झिपड़ी कर रहे थे तो राजेन्द्र गिर गया था तो उसने बीच बचाव किया था। उक्त साक्षी ने बताया कि वह राजेन्द्र सिंह के यहां सोयाबीन की फसल में कीटनाशक दबा डालने गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी रणवीर, करतार घटना के समय मौजूद नहीं थे और इस बात को भी स्वीकार किया कि फर्से और लोहांगी से कोई मारपीट नहीं हुई। प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि राजेन्द्र सिंह पत्थर की मेड़ पर से गिर गया था।

13— मलखान सिंह अ0सा03 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपीगण व फरियादी राजेन्द्र सिंह को जानता है। रामस्वरूप व गोबर्धन, राजेन्द्र की उपस्थिति में उसके खेत में कीटनाशक दबा डाल रहे थे। दबा डालकर जैसे ही रामस्वरूप, गोबर्धन नहाने लगे तो एक तरफ से बुद्धा आया और दूसरी तरफ से कल्ला और भूरा आए। उक्त साक्षी का कहना है कि ये बातें उसे रामस्वरूप, गोबर्धन, राजेन्द्र ने बताई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि साक्षी मलखान की अनुश्रुत साक्षी हैं।

14— रामस्वरूप अ0सा04 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपीगण का फरियादी राजेन्द्र सिंह को जानता है। घटना के समय वह राजेन्द्र के खेत में दबा डालने गया था, वहां पर राजेन्द्र और बुद्धा की चैंटा चांटी हो गई थी, इसके अलावा उक्त साक्षी ने अन्य कोई जानकारी न होना व्यक्त किया। रामस्वरूप अ0सा04 ने बताया कि झगड़ा होने पर वह मौके से भाग आया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने बताया कि चैंटा-चांटी के समय करतार मौके पर मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके सामने सुगंधा और राजेन्द्र के पिता नारायण मौके पर नहीं पहुँचे थे। स्वतः कहा बाद में पहुँचे हो तो उसे पता नहीं है।

15— सुगंधाबाई अ0सा05 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपीगण व फरियादी राजेन्द्र सिंह को जानती है। वह राजेन्द्र को खेत पर खाना देने गई थी, वहां पर बुद्धा, करतार, कल्ला, भूरा, रणवीर पांचो लोग राजेन्द्र की मारपीट करने लगे थे। भूरा

कुल्हाड़ी से, रणवीर लाठी से, करतार फर्सा लिये था, कल्ला व भूरा कुल्हाड़ी लिये था। राजेन्द्र को खेत पर आरोपीगण ने मारपीट की थी तो राजेन्द्र वहीं गिर गया था। राजेन्द्र के हाथ, पैर, कमर व सिर में चोट आई थी। नारायण सिंह अ0सा08 ने उसके कथनो में बताया कि जमीन के विवाद पर से उसके लडके साथ आरोपीगण के द्वारा मारपीट की गई थी। यद्यपि उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के समय वह घर पर था और उक्त बातों से रामस्वरूप ने घर आकर बताई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त साक्षी ने बताया कि उसने लडके राजेन्द्र सिंह के सिर में आगे की तरफ खून निकलते देखा था और छाती व दोनों पैर की पिडली में व पीठ में चोट देखी थी।

16— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा06 ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 04.08.04 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसके द्वारा आहत राजेन्द्र सिंह का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें चोट क्र0 1 कटा हुआ घाव जो दाहिने पैर के उपरी भाग पर स्थित था, जिसका आकार 5.5 गुणा 1 गुणा 0.25 सेमी था, चोट क्र0 5 कटा घाव जो 1/3 भाग उपर की ओर था, और इसके अलावा आहत के शरीर पर कुल 12 चोटें थी। उक्त समस्त चोटों पर सूजन, दर्द, घाव एवं कपड़ों पर खून के थक्के जमे हुए थे और चोट क्र0 1 व 5 धारदार हथियार से कारित की गई थी। उक्त साक्षी की मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आहत को आई समस्त चोटें किसी खेत पर बनी पत्थर की मेड पर गिरने एवं उसके उपर पत्थर गिरने से आ सकती हैं।

17— विवेचना अधिकारी जगदीश सिंह धाकड़ अ0सा09 ने बताया कि वह दिनांक 07.08.08 को थाना चंदेरी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था और उसके द्वारा अ0क्र0 280/08 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 5 साक्षी नारायण सिंह, मलखान, सुगंधा, गुबरा, राजेन्द्र व रामस्वरूप के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे और आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. क्रमशः 5 लगायत 9 तैयार किये थे और आरोपी करतार, बुद्धा, रणवीर और भूरा से एक-एक बांस की लाठी एवं आरोपी कल्ला से एक सफेदा का डण्डा साक्षीगण के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 10 बनाया था।

18— उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में राजेन्द्र सिंह द्वारा बुद्धा, करतार, कल्ला, भूरा और रणवीर द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है, जबकि गुबरा उर्फ गोबर्धन ने भी उसके मुख्य परीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि राजेन्द्र सिंह के खेत पर बुद्धा, कल्ला, भूरा तीनों के बीच में लड़ाई हुई थी और लड़ाई में लट्ठबाजी भी हुई थी, किन्तु उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पैरा 3 में बताया कि घटना के समय रणवीर और करतार मौजूद नहीं थे। जबकि रामस्वरूप अ0सा04 का कथन है कि राजेन्द्र और बुद्धा के बीच चैंटा-चांटी हुई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में

उक्त साक्षीगण ने बताया कि मौके पर घटना के समय आरोपी कल्ला, भूरा एवं करतार नहीं थे, जबकि सुगंधाबाई अ0सा05 ने उसके कथनो में बताया कि वह घटना के समय राजेन्द्र को खेत पर रोटी देने गई थी जहां पर बुद्धा, करतार, कल्ला, भूरा, रणवीर पांचो लोगो ने राजेन्द्र के साथ फर्सा, कुल्हाडी व लाठियों से मारपीट की थी। उक्त समस्त साक्षियों की साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या यह तो प्रमाणित होता है कि राजेन्द्र की मारपीट की गई है, किन्तु घटना के समय समस्त पांचो आरोपीगण उपस्थित थे, इस संबंध में राजेन्द्र सिंह अ0सा01, सुगंधा अ0सा05 के कथन अखण्णीय रहे हैं और उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का सारतः समर्थन गुबरा उर्फ गोवर्धन अ0सा02, रामस्वरूप अ0सा03 की साक्ष्य से भी होता है, इसके अलावा बचाव पक्ष की ओर से भी ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित हो कि समस्त आरोपीगण घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद न होकर अन्यत्र उपस्थित थे। इस प्रकार घटना के समय घटना स्थल पर उक्त पांचो आरोपीगण का उपस्थित होना प्रमाणित है।

19— आहत राजेन्द्र सिंह अ0सा01 को आई हुई चोटो का समर्थन विशेषज्ञ साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा06 की साक्ष्य से भी होना दर्शित है। **म0प्र0 शासन बनाम हमीम खां 1999 “2” जेएलजेपी—310** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

20— उपरोक्त विवेचना के आधार पर फरियादी/आहत राजेन्द्र सिंह अ0सा01 के कथन उपर वर्णित साक्ष्य के अनुरूप ही रहे हैं और उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी गंभीर विसंगति या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं और उक्त साक्षी की साक्ष्य सारतः अखण्डनीय रही है। उक्त साक्षी की साक्ष्य का समर्थन सुगंधा अ0सा05 के कथन से भी होता है।

21— अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। **रोकड सिंह बनाम म0प्र0 राज्य एमपीएलजे 1996** पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि साक्षी द्वारा वृतांत का वर्णन भाषा व तरीके में फेरफार स्वाभाविक है उससे वृतांत की यथार्थता प्रभावित नहीं होती है, इसके विपरीत वृतांत में एक राय से साक्षी को सिखाने पढ़ाने का संकेत मिलता है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य उद्देश्य का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत की मारपीट कर उपहति किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी राजेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य उद्देश्य का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। फरियादी राजेन्द्र सिंह अ0सा01 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः

अखण्डनीय रहे हैं तथा राजेन्द्र सिंह अ0सा01 के कथनों की संमपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटों का समर्थन डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा06 के कथनों से भी होता है। अभिलेख पर आहत राजेन्द्र सिंह एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं है तथा फरियादी राजेन्द्र सिंह के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं।

22— जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्तगण उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखते थे कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। अतः साक्षीगण के कथनों के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.08.08 को समय 13:00 बजे स्थान ग्राम बेसरा का हार लोक स्थल में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी को सख्त एवं वोथरी हथियार से मारपीट कर उपहति कारित की

23. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

साजिद मोहम्मद
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:—

24— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

अभियुक्त	भा0दा0वि0 की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
करतार	324 / 149	6 माह	300 / —	15 दिन
	323 / 149	3 माह	200 / —	7 दिन
बुद्धा	324 / 149	6 माह	300 / —	15 दिन
	323 / 149	3 माह	200 / —	7 दिन
रनवीर	324 / 149	6 माह	300 / —	15 दिन
	323 / 149	3 माह	200 / —	7 दिन
कल्ला	324 / 149	6 माह	300 / —	15 दिन
	323 / 149	3 माह	200 / —	7 दिन
भूरा	324 / 149	6 माह	300 / —	15 दिन
	323 / 149	3 माह	200 / —	7 दिन

अभियुक्तगण की उपरोक्त दोनो सजाए साथ-साथ भुगतायी जावे।

25— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

26— प्रकरण में जप्तशुदा 3 बांस की लाठी एवं दो लाठी सफेदा की मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

27— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0